

>

Title: Need to bring forth a legislation for regulating the functioning of travel agencies in the country.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे देश से प्रतिवर्ष हजारों लोग विभिन्न देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। विदेश जाने वाले अधिकतर लोग विभिन्न ट्रेवल एजेंटों के जरिए जाते हैं और ट्रेवल एजेंटों द्वारा इनसे बहुत मोटी रकम वसूली जाती है। इनमें से कई लोग विदेशों में वहां के कानून में फंस जाते हैं, इस कारण कई देशों में हमारे नागरिक बंद हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में ट्रेवल एजेंटों के लिए कोई कानून बनाया जाये ताकि विदेशों को गलत तरीके से भेजने पर ट्रेवल एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके और भोले-भाले लोगों को फंसने से बचाया जा सके। देश में सब्जी की दुकान खोलने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इंसान का सौदा करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक रेगुलेटरी एंथारिटी बनाई जाये।